न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या– 2022/252

1. हरनारायण आत्मज किशना जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. किशना आत्मज धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. धनराज आत्मज पाल्या जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. बाबूड़ी पुत्री पाल्या जाति मीणा पत्नी मुरारीलाल निवासी दूबी तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)।
3. रामनाथी पत्नी पाल्या जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. हाथीड़ा आत्मज भज्जा जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. मनभर बेवा गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
6. खान जी आत्मज धनपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
7. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
8. राज्य सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). महेश योगी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). तेजमल जैन– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 10.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 03/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गंभीरी तहसील नैनवां मे प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 528 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 528/602 रकबा 7 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा संख्या 528/603 रकबा 7 बिस्वा गै. मु. चाह, खसरा संख्या 528/603 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी की उक्त भूमि मे जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम गंभीरी से खसरा संख्या 214 रास्ता मे होकर तथा खसरा संख्या 215 के बीच मे होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 528 में पहुंचते है। जहां से वादीगण की खाते की अन्य भूमियों मे जाते है। इस रास्ते को वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से बता रखा है। रास्ता करीब 12 फुट चौड़ा है। इस रास्ते को प्रार्थना–पत्र में आगे विवादित रास्ते के नाम से पुकारा जावेगा। परिशिष्ट "अ" को भी प्रार्थना–पत्र का अंग माना जावे। प्रार्थीगण को इस रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त है। प्रार्थीगण 70 वर्षो से इस रास्ते में होकर अपने बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, हल आदि लाते जे जाते रहे है। ग्राम गंभीरी 100 वर्ष पहले बसा था तब से प्रार्थीगण इसी रास्ते में होकर आवागमन कर रहे है। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 215 की खातेदार कृषक है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो विवादित रास्ते को अवरूद्ध करे या अन्य किसी प्रकार की अड़चन डाले। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के मन मे बदनियति आ गई है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 गत सप्ताह से अवैध व अनाधिकृत रूप से आम रास्ते को अवरूद्ध करने व प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने रास्ते को फाड़ना शुरू कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से बताये गये स्थान पर अवरोध खड़ा कर रहा है। प्रार्थीगण के खेत पर जाने का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलाव अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ते को 30 फुट चौड़ा करवाना चाहते है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में भी अंकित करवाना चाहते है। प्रार्थीगण को यह भी अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण उक्त रास्ते को 30 फुट चौड़ा करवाकर रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में भी अंकित करवाये। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सख्या 1 से 3 के विरूद्ध प्राप्त करे कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित रास्ते को फाड़कर अपनी भूमि में नहीं मिलाये, रास्ते मे किसी प्रकार का अवरोध नहीं करे एवं अन्य किसी प्रकार से प्रार्थीगण के रास्ते के आवागमन के अधिकार एवं सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न किसी अन्य से ऐसा करवाये। यदि अप्रार्थीगण रास्ता अवरूद्ध कर देते है या अपनी भूमि में मिला लेते है तो जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रास्ते की पूर्व स्थिति बहाल कर रास्ता खुलासा करवाया जावे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपने खेतों में पहुंचने का रास्ता बंद हो जायेगा, फसल नष्ट हो जायेगी, रास्ता खत्म हो जायेगा। जिससे प्रार्थीगण को महान अपूरणीय

क्षति होगी जिसका नगद रूप मे मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। अन्त मे परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये लाल स्याही से विवादित रास्ते को 30 फुट चौड़ा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस मे रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे विवादित रास्ते पर प्रार्थीगण के हक अधिकार, सुखाधिकार एवं आवागमन में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने जितना रास्ता अवरूद्ध किया है उसे भी हटवाया जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 निमय 11 सीपीपी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 के विरूद्ध प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.11.2020 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा दिशा–निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। दिनांक 11.01.2021 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.11.2021 को पत्रावली लोक–अदालत कैम्प कोर्ट गम्भीरा मे रखी गई। दिनांक 30.11.2021 को लोक अदालत के तहत निर्णित की जाकर प्रार्थीगण की आराजी मे आने–जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 212 , 213, 215 व 163 में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनिमय 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील सब्जेक्ट टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ

न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 का अवलोकन किया । न्यायहित मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एवं संचिता मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निस्तारण कर कानूनन त्रुटि की है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11. 2020 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वह दोनो पक्षों को जवाबदेही, दस्तावेजात व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करे। साथ ही यह भी निर्देश था कि वादग्रस्त आराजी मे मौके की स्थिति के अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौका देखकर निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसील की रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड होने के पश्चात विधिवत सम्मन की तामील नहीं करवाई गई, खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि प्रार्थी को रास्ते की जो भूमि दी गई है, वह अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी की आराजी है। बिना खातेदार की उपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार है, इस कारण नोन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने से प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से तथ्यों के विपरीत जाते हुए विधि विरूद्ध रूप से निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(1) पेज 179 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर है, 1 वर्ष से ज्यादा समय पश्चात् पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट संख्या 2 पक्षकार नहीं था। अपीलांट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या ही अपील खारिज की जाए। इस प्रकार अपीलांट सख्या 2 को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट संख्या 1

अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार था तथा यह अपीलांट संख्या 2 का पुत्र है। अपीलांट संख्या 2 की अधीनस्थ न्यायालय मे तामील हो चुकी थी। अपीलांट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार था तथा यह अपीलांट संख्या 2 का पुत्र है। अपीलांट संख्या 2 को तामील हो चुकी थी। परन्तु वह जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। मौका रिपोर्ट का भी हरिनारायण को संज्ञान था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु रास्ता अपीलांट की आराजी में कायम किये जाने का निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने अपील के बिन्दु संख्या 3 मे कथन किया है कि प्रार्थी की आराजी मे आने–जाने हेतु जो रास्ता कायम किया गया है, उक्त रास्ते की भूमि अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी की भूमि है, बिना खातेदार की उपस्थिति मे प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया, इसमे भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि अपीलांटगण किस खसरा नम्बर की भूमि के खातेदार है। अपने अपील मेमों में भी अपीलांटगण ने कही भी स्वयं के खसरा नम्बर अंकित नहीं किए है। अपीलांट का न तो अपील मेमों मे खसरा नम्बर स्पष्ट है तथा न ही अपील के साथ ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जिससे अपीलांटगण की खातेदारी भूमि अंकित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है जो अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि को दर्शाता हो। मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.2021 मे भी कौनसा खसरा नम्बर किस खातेदार का है? यह स्पष्ट नहीं है। अपीलांट ने अपील में मात्र यह अंकित किया है कि प्रार्थी को रास्ते की जो भूमि दी गई है, वह अपीलांट संख्या 2 के खातेदारी की आराजी है। परन्तु इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज/खसरा नम्बर आदि अंकित नहीं किया तथा न ही अपील के साथ संलग्न किया। हमारे मत मे अपीलांट को अपने कथन को स्वयं साबित करना होता है, परन्तु हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड नहीं है जो अपीलांट के कथन को साबित करता हो। जहॉ तक अपीलांट संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, तो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2016 मे सम्मन तामील मानते हुए उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसके पश्चात दिनांक 08.07.2021 को पुनः नोटिस जारी हुए है, जिस पर तामील टीकाराम(पुत्र) अंकित है। इसके पश्चात दिनांक 30.11.201 को उपस्थिति का नोटिस जारी हुआ। इससे प्रतीत होता है कि अपीलांट संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी थी। अपीलांट को अपने कथनों के समर्थन मे राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे। अपीलांट संख्या 2 के नाम कौन–सी व किस खसरा नम्बर की खातेदारी की भूमि है, ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट संख्या 2 की ओर से सी.पी.सी.

के प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई तथा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलांटगण अपील में अंकित कथनो को साबित करने में तथा सिविल प्रकिया संहिता की पालना करने मे असफल रहे है, जिससे अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिजकी जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 03/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा